Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

वीरेन्द्र मिश्रा बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **079** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो बाद जांच पेश हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 197 थाना के सामने इन्दिरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 10 रावतभाटा 323307 मोबाईल 9466575493 ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2022 के संदर्भ में प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। चिंतन-मनन किया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/369 दिनांक 28.09.2022 से अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन का अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सक्षम लोक सूचना अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भैसरोडगढ को अंतरित किया गया जाकर अपीलार्थी को अंतरण की सूचना प्रेषित की गई है, जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से जाहिर होता है। अधिनियम की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरी द्वारा धारित या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन कियाह जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा एवं ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा; परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन के प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2022 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 23.09.2022 को प्राप्त हुआ उक्त आवेदन को अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भैसरोडगढ को दिनांक 28.09.2022 को अंतरित किया जो कि अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समयावधि में अंतरित किया गया है एवं अपीलार्थी को इस संबंध में सूचित किया गया जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के तहत प्रावधित नियमों के तहत अपीलार्थी के आवेदन पत्र कार्यवाही किया जाना जाहिर आता है। अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सक्षम लोक सूचना अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भैसरोडगढ को अंतरित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भैसरोडगढ से अपेक्षित है, एवं यह प्रथम अपीलीय न्यायालय (राजस्व) है जो कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध ही प्रथम अपील ग्रहण करता है एवं हस्तगत प्रकरण में चूंकि आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी को अन्तर्गत धारा 6(3) के तहत अंतरण निर्धारित समयावधि में किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भैसरोड़गढ़ के प्रथम अपीलीय को नियमानुसार प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील विरूद्ध अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के सारहीन होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं अपीलार्थी को को लोक सूचना अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भैसरोड़गढ़ के प्रथम अपीलीय को नियमानुसार प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों दिये जाते है। अहकाम की प्रतिलिपि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 197 थाना के सामने इन्दिरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 10 रावतभाटा 323307 मोबाईल 9466575493 को जरिये रजिस्टर्ड डाक के सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी** जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 28.10.2022	

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official